2675-M
15-1-2021 (2116)

प्रेषक,

अनुस्मारक–1

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

E.O. NPP(F)

सेवामें,

जिलाधिकारी महोदया
फतेहपुर

जिलाधिकारी
11/01/2021
फतेहपुर

पत्रॉक मु.चि.अ./रा0त0नियं कार्य/2020–21/2519 दिनॉक 07.01.2021

बिषय–जनपद में तम्बाकू पान–मसाला की दुकानों पर गैर तम्बाकू उत्पादों (जैसे बिस्कट चिप्स कोल्ड–ड्रिंक आदि) की बिक्री पर रोग एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदया,

इस कार्यालय के पत्र संख्या मु0चि0अ0/रा0तम्बाकू/2019–20/3839 दिनॉक 13.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कोटपा(राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) अधिनियम 2003 का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने के सम्बंध में जनपद में तम्बाकू पान–मसाला की दुकानों पर गैर तम्बाकू उत्पादों (जैसे बिस्कट चिप्स कोल्ड–ड्रिंक आदि) की बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू **उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में लिखा गया था**, पुनः आपके स्मरण हेतु पत्र लिखा जा रहा है, **पूर्व में लिखे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है।**

इस सम्बंध में नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ का पत्र दिनॉक 03.02.2018 एवं सरकारी गजट उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित हापुड एवं लखनऊ की प्रति भी अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है, अतः महोदया से अनुरोध है कि जनमानस में तम्बाकू के सेवन में कमी लाने एवं तम्बाकू सेवन से उत्पन्न बीमारियों में कमी लाने के उद्देश्य से एवं कोटपा अधिनियम 2003 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक
उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

संख्या व दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू प्रकोष्ठ उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर।
3–अधिशाषी निदेशक यू0पीबी0एच0ए0 लखनऊ।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

2021/01/23 15:42